कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग,मैनपुरी

पत्रांक 573 /14–1 दिनांक:मैनपुरी:सितम्बर 06 ,2018

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग
मैनपुरी।

विषय:– जनपद मैनपुरी में शिकोहाबाद– भोगॉव मार्ग (एस0एच0–84) किमी0 चैनेज 21.000 से 43.800 एवं घिरोर बाईपास लम्वाई 6.56 किमी0 कुल 25.66 किमी0 लम्वाई में 04 लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य हेतु 24.92755 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 4645 बाधक वृक्षों एवं पौधों के पातन की अनुमति।

सन्दर्भ:– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) का पं0 8बी/यू0पी0/06/26/2018/एफ0सी0/387 दिनॉक 05–09–2018

कृपया उपरोक्त सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। विषयगत प्रस्ताव में भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) द्वारा विभिन्न शर्तो/प्रतिवन्धों के अधीन सैद्धातिक स्वीकृति जारी की गयी है जिसकी विन्दुवार अनुपालन आख्या आपसे अपेक्षित है। शर्त सं0 1 व 2(क) के अनुपालन में e-payment portal से ई– चालान के माध्यम से जमा की जाने वाली धनराशि निम्न प्रकार होगी।

शर्त सं0–1 :– प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वनभूमि के दुगुने अवनत वनभूमि (24.92755 x 2 = 49.8551 ha.) अर्थात 49.8551 हे0 पर वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि **14317000.00 (एक करोड़ तितालिस लाख सत्रह हजार)** जमा करना होगा।

शर्त सं0–2 (क) :– प्रयोक्ता अभिकरण माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटरीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र सं0 5–3/2007–एफ0सी0 दि0 05–02–2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार प्रभावित वन भूमि (24.92755 हे0) का शुद्ध वर्तमान मूल्य रू0 **22110737.00 (दो करोड़ इक्कीस लाख दस हजार सात सौ सैतीस मात्र)** जमा करना होगा।

अतः कृपया उपरोक्तानुसार सूचित धनराशि सन्दर्भित पत्र में दिये गये दिशा निर्देशानुसार कैम्पा निधि में ई–पोर्टल से ई–चालान के माध्यम से भुगतान कर अन्य समस्त शर्तो की अनुपालन आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। सन्दर्भित पत्र की छाया प्रति संलग्न है।

संलग्नक:– उपरोक्तानुसार

(सिद्धार्थ अम्बेडकर)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, मैनपुरी

land trans.